



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]
No. 627]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2008/वैशाख 18, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2008/VAISAKHA 18, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2008

का.आ. 1107(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1300(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2003 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में पंक्ति संख्या 6 में 'सी. आर. वाई. 1 ए. सी.' शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें जाएंगे, अर्थात्-बैसिलस थुरिन्जिएन्सिस के सभी प्रकार ।

[फा. सं. 18-6/2007-एसडी-IV]

एस. के. पटनायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, संख्या का.आ. 1300(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2008

S.O. 1107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, number S.O. 1300(E), dated the 12th November, 2003 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :—

In the said notification, in paragraph 1, in line No. 7, for the words and figures 'Cry. IAC', the following words shall be substituted, namely,—all types of *Bacillus thuringiensis*.

[F.No. 18-6/2007-SD-IV]

S. K. PATTANAYAK, Jt. Secy.

Foot note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1300(E), dated the 12th November, 2003.